

22/5/18

पत्रावली माल लोके अदालत - धाय कापड़े डार उज्ज पचायत
 मुख्यमालय देवाध पर पेश हुई अजमेरी अधिवक्ता के पूर्व
 के दिनांक 20/4/18 को प्रमाणित प्रति प्रेषित किया एवं अपील
 मित्रों की प्रति पेश कि अतीत मित्रों को अवलोकन किया
 गया बाद अवलोकन पाया कि अदालत आज तक अतीत अधिवक्ता
 मलेदण के अपील संख्या 164/2015 दिनांक 223 राजपत्र काश्तवा
 अधिवक्ता के आदेश दिनांक 30-3-17 के शासन रकार्ड एवं मॉड
 की यथास्थिति काफे रखे रखे पत्र ड दिया गया है। एहि स्थिति
 में अब इस इतराज पर कोई कार्रवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
 कुछ अतीत माल - धाय के अतिरिक्त निम्न लक इतराज पर कार्रवाही
 शेष की जाती है। तथा इतराज के एक सुरक्षित रखे हुए इती
 रिजल पर कार्रवाही शेष करने के आदेश प्राप्त किने जाते हैं।
 मिसल कैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो बाद फरर पावल है।

(Handwritten signature)

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कल
 मसूदा (अजमेर) राज०

